<u>तकनीकी निविदा आवेदन (प्रथम लिफाफा)</u> मूल्य 500/रूपये(पृ.क.01)

कैन्टीन संचालन हेतु तकनीकी निविदा (प्रथम लिफाफा में)इसी कम मे रखेः–

<table>
<tr><th>कमाक</th><th>आवश्यक दस्तावेज</th><th colspan="2">आवश्यक दस्तावेज की जानकारी</th><th colspan="2">दस्जावेज सलग्न (हॉ/नही) उल्लेख करें</th></tr>
<tr><td>1</td><td>फर्म/दुकान का नाम</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>निविदाकार का पता</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td>आयकर रिटर्न तीन वर्ष (प्रमाण पत्र सलग्न करें शर्त के अनुसार)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4</td><td>जी एस टी नम्बर (प्रमाण पत्र सलग्न करें शर्त के अनुसार)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5</td><td>पेनकार्ड नम्बर(प्रमाण पत्र सलग्न करें शर्त के अनुसार)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td>आधार कार्ड(प्रमाण पत्र सलग्न करें शर्त के अनुसार)</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td>खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जो भी हो</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">बैक का नाम</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">धरोहर राशि का विवरण</td></tr>
<tr><td rowspan="2">9</td><td>आवेदक का मो0नम्बर</td><td>एफ.डी.आर. कमांक</td><td colspan="2">दिनांक</td><td>राशि</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>घोषणा पत्र (प्रमाण पत्र सलग्न करें शर्त के अनुसार)</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

चाही गई जानकारी हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजो के साथ संलग्न कर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रमाणित करें ।

स्थानः—

दिनांकः— निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नामः— ....

पताः— ....

कमाकः—01

(वित्तीय निविदा (दूसरा लिफाफा)

फोटो

01:— निविदाकार का नाम :— ....

02:— निवास का स्थाई पताः— ....

(निवास प्रमाण पत्र के आधार पर) ....

03:— दो गवाह ....

(जो व्यक्तिगत रूप से जानते हो ....

पहचान पत्र सलंग्न करें)

04:— प्रतिमाह किराया (अंको में) ....

(शब्दों में) ....

05ः– आपके विरूद्ध किसी भी ....
न्यायालय में अपराधिक दर्ज है।
(हॉ/नहीं)
यदि हॉ तो विस्तृत जानकारी देवें

06ः– क्या पूर्व में आपके द्वारा ....
कैन्टीन का संचालन किया गया
है तथा कितने वर्ष का अनुभव है।
(हॉ/ नहीं)

कृपया पीछे देखे

पृ0कमाकः–02

07ः– निम्नानुसार सामग्री का प्रदाय कैन्टीन संचालक करना चाहता है जिनकी दर निविदाकार स्वंय भरे जो अनुमानित होगी।

भोजन की दरें (दूसरे लिफाफे में)

कमांक	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	दरे अनुमानित
01	एक प्लेट चावल, 6 रोटी, दो सब्जी, एक दाल सलाद	प्रति थाली	

	पापड अचार चटनी		

नास्ते की दरें			
कमांक	खाद्य सामग्री की दरे	मात्रा	दरे अनुमानित
01	चाय	80 मिली लीटर	
02	काफी	80 मिली लीटर	
03	समोसा,आलूबंडा ,भाजी बंडा	प्रति नग	
04	कचौरी	प्रति नग	
05	नमकीन मिक्चर	प्रति किलो	
06	नमकीन सादा	प्रति किलो	
07	बून्दी	प्रति किलो	
08	डोसा	प्रति नग	
09	इटली	प्रति नग	
10	दहीबंडा	प्रति नग	
11	भजिया/मगोडी	प्रति किलो	
12	खोवा बर्फी	प्रति किलो	
13	रसगुल्ला	प्रति नग/किलो	
14	अन्य सामग्री जो बेचना चाहते है सूची के साथ दर सलंग्न करे।		

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नोटः— कृपया ध्यानपूर्वक अध्ययन कर हस्ताक्षर करें।

01ः— तलने वाली सामग्री में सदैव डबल रिफाईन सोयाबीन तेल का प्रयोग किया जावेगा।

02ः— फार्म भरते समय काटा छाटी न की जावे दूसरा फार्म प्राप्त करने के लिए पृथक से राशि जमा करानी होगी।

03ः— ब्राडेड कम्पनी के आईटम को MRP दर पर बेचने की अनुमति दी जावेगी।

04ः— फार्म में कोई भी कालम खाली न छोडा जावे यदि कोई जानकारी नहीं भरी जाती है तो उसे (X) कर दिया जावे

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(01)

<u>निविदा शर्तो का अध्ययन कर वित्तीय निविदा (दूसरा लिफाफा) मे हस्ताक्षर कर सलग्न करें</u>

नीलामी में भाग लेने हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार होगी।

01ः– निविदाकार को निविदा फार्म प्राप्त करने के लिए नगद 500 रूपये जमा करने पर
फार्म उपलब्ध कराया जावेगा।

02ः– निविदाकार को निविदा फार्म भरते समय दो लिफाफे में निविदा प्रस्तुत की जाना
है तकनीकी निविदा (प्रथम लिफाफे) में चाही गई जानकारी (विन्दु कमाक 01 से
10) प्रमाणपत्र/दस्तावेज एंव प्रतिभूति राशि 100000/–का एफ0 डी0 आर0होगा
जो कलेक्टर कटनी के पक्ष मे देय होगा।

03 वित्तीय निविदा (दूसरा लिफाफा) में दर प्रत्रक/वित्तीय ऑफर निविदा का होगा
जिसमे कैन्टीन का मासिक किराया भरा जावेगा एंव खाद्य सामग्री की दरें होगी
जो निविदाकार अपनी सुविधा अनुसार स्वंय भरेगा। दरे प्रस्तुत करते समय किसी
प्रकार की ओवर राईटिंग या काट छाट न की जावे।

04 दोनो लिफाफों के ऊपरी भाग मे साफ सुथरे अक्षरो मे तकनीकी निविदा (प्रथम लिफाफा) व
वित्तीय निविदा (द्वितीय लिफाफा)लिखा होना चाहिए यदि स्पष्ट लिखा नही पाया जाता है
तो इसके आभाव मे निविदा निरस्त की जावेगी, इसके लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

05ः– सर्व प्रथम पहला लिफाफा प्रतिभूति राशि ''तकनीकी बिड''का खोला जावेगा यदि
निविदाकार इस कार्यालय द्वारा चाहे गये समस्त प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने
मे सफल होता हे तो ही वित्तीय निविदा (द्वितीय लिफाफा)दर पत्रक का खोला

जावेगा।

06:– निविदाकार 3 वर्षो (2017–2018, 2018–2019, 2019–2020 असिस्मेन्ट ईयर) का इन्कम
टैक्स रिटर्न फाईल का प्रमाण पत्र संलग्न करने है जो प्रथम लिफाफे मे रखे जावेगे
(तकनीकी बिडके लिफाफे मे रखे)

07:– फर्म/ऐजेन्सी का जी0एस0टी0 नम्बर/आयकर नम्बर पेन कार्ड/आधार कार्ड की
छाया प्रति संलग्न करनी है जो तकनीकी निविदा (प्रथम लिफाफे) मे रखा जावेगा।

08:– खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (भोजन निर्माण संबंधी) अथवा
खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत **fssai** कैटरिंग का लायसेंस इसमे से जो भी एक हो मान्य होगा प्रथम लिफाफे मे रखा जावेगा।

09:– कैन्टीन के किराये की उच्चतम अथवा उससे कम निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार
फर्म के द्वारा भरा जावेगा उसे ही स्वीकार किया जा सकेगा यदि एक समान मासिक किस्त
के दो या दो से अधिक टेण्डर जमा होते है तो लाटरी माध्यम से निविदा स्वीकृत की
जावेगी।

10:– निविदा स्वीकृत होने की दशा में मासिक किराया की राशि कलेक्ट्रेट संधारण समिति के
खाते में केन्टीन संचालक को स्वंय बैक में जमा कर पावती रशीद जिला नाजिर के
पास प्रस्तुत करना होगी। मासिक किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मासिक
किराया भुगतान करना होगा।

11:– कैन्टीन संचालक पान की दुकान कैन्टीन भवन के बाजू में अस्थाई लकडी का टपरा रखकर पान दुकान संचालित कर सकेगा पक्के निर्माण की अनुमित नहीं दी

जावेगी पान दुकान का अर्थ धूम्रपान से न किया जावे केवल पान बेचने की ही अनुमति दी जावेगी निरीक्षण के दौरान धूम्रपान की सामग्री बेचते पाये जाने पर आपको दण्डित किया जा सकता है।

12ः– कैन्टीन भवन में बिजली एवं पानी के बिल भुगतान का दायित्व कैन्टीन संचालक का होगा। विद्युत/नल कनेक्शन अपने स्वंय के नाम पर एंव स्वंय के व्यय पर लगवाना होगा

13ः– कैन्टीन भवन एंव परिसर में किसी भी प्रकार के मद्य पदार्थ के कय विकय एवं उनके इस्तेमाल पर सख्ती से प्रतिबंध रहेगा।

14ः– कैन्टीन भवन में किसी भी प्रकार का निर्माण या संरचना किसी भी स्थिति में नहीं करेगा।

15ः– कलेक्टर स्वंय एवं उनके प्रतिनिधि के द्वारा कभी भी विकय हो रहा खाद्य पदार्थों की जॉच की जा सकती है जॉच के समय यदि किसी भी प्रकार से खाद्य सामग्री दूषित पाई जाती है तो आपको अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर कटनी का होगा।

16ः– ठेकेदार को निर्धारित शुल्क (1000रूपये) के स्टेम्प पेपर पर शर्तो एवं नियमों के पालन के संबंध में करार पत्र निष्पादित करना होगा।

17ः– कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों को यूनिफार्म में रहना होगा तथा बैच लगाना अनिवार्य होगा

18ः– ठेकेदार के लिए किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में कलेक्टर कटनी का निर्णय अन्तिम एवं सर्व मान्य होगा। ठेकेदार कभी भी किसी भी प्रकार का न्यायालय में बाद प्रस्तुत नही करेगा इस आशय का अभिवचन पत्र भी पृथक से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

19ः– कैन्टीन परिसर के चारो ओर साफ सफाई एवं स्वच्छ वातावरण निर्मित करने के लिए संचालक स्वंय उत्तरदायी होगे।

20ः– ग्राहको को कैन्टीन संचालक के द्वारा निर्धारित दर पर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु
कैन्टीन में भोजन एवं नाश्ते की दरे प्रदर्शित करने के लिए एक बोर्ड लगाना होगा।

21ः– कैन्टीन संचालन हेतु 03 वर्ष के लिए दिया जावेगा तथा जिस दिनांक के लिए आपको
अधिपत्य दिया जावेगा उसके एक दिन पूर्व कैन्टीन परिसर आप स्वतःसे छोड देगे। इस
बात का भी अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

22ः– निविदाकार निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि कैन्टीन चलाने मे असमर्थ रहता है या
कैन्टीन छोडकर बीच मे चला जाता है तो उसकी अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी
एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है ।

23ः– निविदा की शर्तो का पालन न किये जाने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध
निरस्त करते हुये जमा अमानत राशि जप्त की जा सकेगा। ठेकेदार का समय–समय पर
कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी नाजरात शाखा के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना
अनिवार्य होगा।

24ः– कैन्टीन का ठेका जिसके नाम से स्वीकृत होगा ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह स्वंय

उसका संचालन करेगा वह किसी अन्य व्यक्ति को पेटी कान्टेक्ट पर नहीं देगा यदि ऐसा

किया जाता हे तो जानकारी प्राप्त होने पर उसका ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

25ः– सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति होने के दिनांक से तीन दिवस के भीतर तीन माह

के किराये कि एकमुस्त राशि समिति के खाते में तीन दिवस के भीतर जमा कर दी जाती

है। यदि समय सीमा के अन्दर राशि जमा नहीं की जाती है, तो जमा अमानत राशि

राजसात कर दी जावेगी।

26ः– निविदा फार्म कक्ष कंमाक 17 में अधीक्षक कक्ष के सामने रखे टेण्डर बाक्स में जमा

किये जावेगे ।

27ः– निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

28ः– घोषणा पत्र 50 रूपये के स्टाम्पपेपर नोटराईज निर्धारित प्रारूप मे संलग्न तकनीकी

लिफाफे (प्रथम लिफाफे) मे रखें

घोषणा पत्र

मै ....आत्मज ....निवासी ... .यह घोषणा करता हूॅ कि फार्म जमा करने के पूर्व उक्त की समस्त कण्डिका कमांक 01 से 28 तक की शर्तो का अध्ययन ध्यान पूर्वक कर लिया गया है। मै निविदाकार समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य रहूॅगा, तथा मेरे द्वारा निविदा आवेदन में भरी गई जानकारी एंव प्रस्तुत दस्तावेज सत्य/सही है। यदि जॉच के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज /आवेदन फार्म भरने मे गलतियॉ पाई जाती है तो निविदा समिति निविदाकार की निविदा निरस्त करने का निर्णय लेगी जिससे मुझे कोई आपत्ति नही होगी। की सहमति मेरे द्वारा प्रदाय की जाती है ।

स्थानः–...................................

दिनांकः–..............................

निविदाकार का नाम ....

......

हस्ताक्षर ....

.